"प्रशासन गांवो के संग अभियान – 2021"

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

GCMS : 38/2022

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

सरकार बनाम जानकीप्रसाद आदि

किस्म मुकदमा:– धारा अन्तर्गत 131 व 132 एलआरए नं. मुकदमा 49 /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/23/22		

तहसीलदार लूनकरनसर से ग्राम/चक साबनिया के मुरबा /खसरा नम्बर 447,448,446,444,454,453,459,458 मे से होकर सार्वजनिक रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्राप्त रास्ता प्रकरण का अवलोकन किया गया जिसमें अंकन किया गया है कि मौके पर सार्वजनिक आवागमन के रूप में रास्ता चालू हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58,59,60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार लूनकरनसर के द्वारा अभिशंषित संलग्न प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेश में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरनसर को आदेश दिया जाता है कि संलग्न प्रस्ताव निम्नानुसार हैं–

क्र. सं	मु. नम्बर /ख.न.	रकबा है./बीघा में	किस्म भूमि	खसरावार रकबा जो रास्ते के काम आ रहा हैं।	नाम खातेदार
1	447 448	0.4300 2.4000	बा.1	0.0200 0.0760	जानकीप्रसाद पुत्र किशनलाल वगै. जाति ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार
2	446	4.7200	बा.1	0.1240	ओमप्रकाश पुत्र जगमाल वगै. जाति ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार
3	444	2.5300	बा.1	0.0080	परताराम पुत्र रामकरण जाति ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार
4.	454	7.5900	बा.1	0.1540	ओमप्रकाश पुत्र खिराजराम जाति सुथार साकिन देह खातेदार
5.	453	1.2600	बा.1	0.0340	बस्तीराम पुत्र लाधूराम जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार
6.	459	3.5500	बा.1	0.0780	लालाराम पुत्र जैसाराम वगै. जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार।
7.	458	2.0500	बा.1	0.0440	जमनादेवी पुत्री स्व. सहीराम [illegible] खातेदा[illegible]

उक्त कृषिभूमि बाबत राजस्व अभिलेख [illegible] को पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए [illegible] मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं तह[illegible]दार लूनकरनसर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा आदेश का भाग रहेंगे। तदानुसार तहसीलदार लूनकरनसर को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 15:48:32 IST
Reason: SelfAttested